




FORM NO. III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर वमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
 पूसाराम पुत्र केशाराम जाति जाट वगै. वनाग मूलचन्द पुत्र गणेशाराम जाति कुम्हार वगै.
 सा. लाम्बीडेरी इण्डाली तह. नावां सा. गणेशपुरा तह. नावां

किस्म मुकदमा : 251ए आर.टी.ए.

मुकदमां नम्बर 041/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
17.04.2023	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि दर्ज रजिस्टर किया जाता है। तहसीलदार नावां से मौका रिपोर्ट मंगवाने जावें। तहरीर जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.04.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (अशुल सिंह) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां </p>	
27/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप.प्रीठासीन अधिकारी नहीयय सहायक कार्य से बाहर बघारे है पत्रावली दिनांक 27/4/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
9/5/23	<p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रां पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस पत्रावली को प्रार्थी प्रां नही चलाया चाहता है। इसलिए इस पत्रावली को मये तब्यो के साथ नया प्रां पत्र पेश करने की अनुमति के साथ विज्ञाप किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र नये प्रार्थना-पत्र पेश करने की अनुमति के साथ अरिपे विज्ञाप खासि किया जाता है पत्रावली केसल शुमार होकर काबिल दफ्तर व नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) </p>	